

प्रपत्र -3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव

पर वन संरक्षण / वनमण्डाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	:	Diversion of Revenue forest for Construction and Widening of 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Urga section (from Km. 0+000 to Km. 70+200) of NH-130A in the State of Chhattisgarh.	
2	आवेदक / आवेदिका का नाम	:	प्रयोजना निर्देशक (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी. आई. यू. बिलासपुर)	
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	:	46.781 हेक्टेयर	
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला जांजगीर चांपा वन मण्डल जांजगीर चांपा	
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	:	परियोजना स्थल - जांजगीर चांपा	
	(i). आरक्षित वन /संरक्षित		42.401 हेक्ट,	
	(ii). सीमांकित संरक्षित वन	:	Nil	
	(iii) असीमांकित संरक्षित वन	:	Nil	
	(IV) राजस्व वन क्षेत्र	:	ग्राम का खसरा कं, आबंटित क्षेत्र	
			गांव का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर
			चंदनिया(खसरा क्र. 314/1)	0.164
			बछौड़ (खसरा क्र. 779/1)	2.34
			बलोदा (खसरा क्र. 542/1)	1.048
			अंगारूर (खसरा क्र. 7/1)	0.828
			योग	4.38
	(V) संरक्षित वन (हेक्टेयर)			12.473
	(VI) आरक्षित वन (हेक्टेयर)			29.928
			योग	46.781
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनो की वर्तमान स्थिति का प्रकार	:	राजस्व वन क्षेत्र साईट क्वालिटी - I/II/III/IVA/IVB/V घनात्वा - 0.3 / >0.3 से 0.6 तक / >0.6	
7	आवेदित क्षेत्र	:	वृक्षों का विवरण संलग्न है।	

8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	निरंक
9	आवेदित क्षेत्र की विशेषकर खनिज प्रकरणों से मुख्य से (पी.डब्ल्यू.डी./मार्ग आदि) से दुरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	:	DGPS Map संलग्न है
10	क्या आवेदित क्षेत्र की.मी. Ecologically Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण बायोस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर स्थल) की सीमा के 5 वर्ग की.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	:	Nil
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य वन गैर क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं है। (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग की.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष /भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे)	:	Nil
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, या नहीं ? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवे।	:	कोई नियम उलन्घन नहीं किया गया है।

• प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/ विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल - RF-70 रिवर्सोरा

दिनांक - 14-07-2020

वनमण्डल अधिकारी

जांजगीर -चांपा वनमंडल

श्रीमती प्रेमलता यादव
(भा.व.से.)